प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 100/2025)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने 'एक पारदर्शी तंत्र के रूप में नीलामी सहित पीएमआरटीएस के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन की विधि' पर भादूविप्रा की 20.07.2018 की अनुशंसाओं के संबंध में दूरसंचार विभाग के बैक-रेफरेंस का उत्तर दिया।

नई दिल्ली, 30 सितंबर 2025 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज भादूविप्रा की **'एक पारदर्शी तंत्र के रूप में नीलामी सहित पीएमआरटीएस के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन की विधि' दिनांक 20.07.2018 की अनुशंसाओं के संबंध में दूरसंचार विभाग से प्राप्त बैक-रेफरेंस का उत्तर जारी** किया है।

2. इससे पहले, दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11 (1) (ए) के तहत दिनांक 13.07.2017 के एक संदर्भ के माध्यम से भादूविप्रा से अनुरोध किया था कि वह पीएमआरटी सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए लागू आरक्षित मूल्य और अन्य संबंधित शर्तों के साथ नीलामी सहित सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा (पीएमआरटीएस) के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन की विधि' पर अनुशंसाऐं प्रदान करे। हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद, भादूविप्रा ने दूरसंचार विभाग को 20.07.2018 को 'पारदर्शी तंत्र के रूप में नीलामी सहित पीएमआरटीएस के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन की विधि' पर अपनी अनुशंसाओं प्रदान कीं।

3. इस संबंध में, दूरसंचार विभाग ने दिनांक 21.07.2025 के एक बैक-रेफरेंस के माध्यम से भादूविप्रा को सूचित किया कि सरकार द्वारा भादूविप्रा के अनुशंसाओं पर विचार किया गया है और कुछ अनुशंसाओं पर पुनर्विचार/स्पष्टीकरण की मांग की गई है।

4. दूरसंचार विभाग द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण की जांच करने के बाद, भादूविप्रा ने बैक-रेफरेंस पर अपनी प्रतिक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है। बैक-रेफरेंस पर भादूविप्रा की प्रतिक्रिया भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर भी रखा गया है।

5. किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर +91-11-20907758 पर संपर्क किया जा सकता है।

अतुल चौधरी 30/9/25

(अतुल कुमार चौधरी)

सचिव भादूविप्रा